

जारी किया गया नया राशन कार्ड (BPL/AAAY)

शास. उचित मूल्य दुकान क्रमांक.

प्रपत्र-अ (2)

नगरीय क्षेत्र के एपीएल को छोड़कर शेष राशन कार्ड हेतु घोषणा सह आवेदन-पत्र

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - भिण्ड मध्यप्रदेश.

एक फोटो
चस्पा एवं
दो फोटो
संलग्न
किये जाएँ.

1. मैं (परिवार के मुखिया का नाम)
पुत्र/पत्नी जाति का हूँ।
2. वर्तमान पता गली नं. मौहल्ला वार्ड नं.
3. गरीबी की रेखा की सूची में उसका ग्राम /वार्ड क्र. /सरल क्र. है।
4. व्यवसाय/नौकरी पद
5. कार्यस्थल/कार्यालय का पता
6. मेरे परिवार के सदस्य श्री के नाम कम्पनी का
..... एजेन्सी का गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक है/नहीं है। जिस पर सिंगल/डबल गैस सिलेन्डर
जारी है। (एक से अधिक कनेक्शन होने की भी जानकारी दी जाए)।
7. परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सदस्य का नाम	आयु	मुखिया से रिश्ता
1.
2.
3.
4.
5.
6.

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि कंडिका 7 में मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है, उनमें से किसी भी सदस्य के नाम न तो पृथक् से राशन कार्ड है तथा न ही उनमें से किसी का नाम, म.प्र. के किसी भी जिले के राशन कार्ड में दर्ज है। मैं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा-पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। मुझे ज्ञात है कि यदि स्थल निरीक्षण या अन्य जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पायी जाती है, तो मैं, भारतीय संविधान तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्ड का भागी हूँगा जिसके तहत सात वर्ष तक का कारावास तथा अर्थ दण्ड या दोनों की सजा दी जा सकती है।

स्थल

हस्ताक्षर (मुखिया)

दिनांक

नाम

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिये)

उपरोक्त दी गई जानकारी की सर्वेक्षणकर्ता से/सक्षम प्राधिकारी से पुष्टी की गई एवं सही पाये जाने पर राशन कार्ड क्रमांक. (BPL/AAAY) जारी किया गया।

राशन कार्ड जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

नाम

पद नाम

जारी करने का दिनांक.